उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (लेखा परीक्षा) अनुभाग

संख्या-10/2016-आडिट-सी0एम0-62/दस-2016-315(2)/2015

लखनऊ : दिनांक 31 मार्च, 2016

कार्यालय-ज्ञाप

श्री राज्यपाल महोदय उ0प्र0 सहकारी और पंचायत लेखा परीक्षा सेवा समूह 'क' के निम्नलिखित अधिकारियों को स्थानान्तरित कर उनके नाम के सम्मुख कालम-4 में अंकित स्थान पर तत्काल प्रभाव से तैनात किये जाने के आदेश प्रदान करते हैं :-

क्रम संख्या	अधिकारी का नाम/पदनाम (गृह जनपद)	वर्तमान तैनाती का स्थान	स्थानान्तरण उपरान्त तैनाती का स्थान
1	2	3	4
1	श्री सुरेन्द्र कुमार पाण्डेय/उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी (सुल्तानपुर)	उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी,पी0सी0डी0एफ0 लखनऊ	उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, बरेली मण्डल, बरेली
2	श्री कैलाश चन्द्र मिश्र/ उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी (चमोली)	उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, बरेली मण्डल, बरेली	उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी,पी0सी0डी0एफ0 लखनऊ

2- सम्बन्धित अधिकारी बगैर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये स्थानान्तरित मण्डल में तत्काल कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे।

उमा द्विवेदी

अनु सचिव।

संख्या-10/2016-आडिट-सी0एम0-62(1)/दस-2016, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।

2- प्रमुख सचिव/सचिव, सहकारिता/पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन।

3- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0 इलाहाबाद को सरकारी गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।

4- मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें, उ0प्र0 लखनऊ।

5- समस्त सम्बन्धित उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें, उ0प्र0।

6- सम्बन्धित समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी उ0प्र0।

7- पी0सी0डी0एफ0 लखनऊ।

8- समस्त जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें, उ0प्र0 द्वारा मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें, उ0प्र0 लखनऊ।

9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(उमा द्विवेदी)

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।